

कार्यालय - जिला नगरीय विकास अभिकरण, संत कबीर नगर

पत्रांक 56 / ई-टेंडर/डूडा/2026-27

दिनांक- 13/05/2026

पूर्णकालिक ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग सूचना

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), संत कबीर नगर में ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत फर्मो/ठेकेदारों से ई-निविदा पोर्टल पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड की तिथि से 05.06.2026 को 12.00 बजे तक पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है। कार्यों का विवरण एवं निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा लागत (जी.एस.टी. रहित) (लाख ₹० में)	जमानत धनराशि (लाख ₹० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र मूल्य (स्टेशनरी चार्ज, निविदा मूल्य, जी०एस०टी०) (रूपये में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद संत कबीर नगर के वार्ड नं० 08 में नेदुला रोड़ से जोखई, दयाशंकर, रामचन्द्र के मकान मार्ग पर सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य।	36.8802	(2 प्रतिशत 73760.40 + 08 प्रतिशत 295041.60) योग 10 प्रतिशत 368802.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
2	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड नं० 24 में रमजान के मकान से कुशल के मकान होते हुए बेचन के घर मार्ग पर इन्टरलाकिंग सी०सी० रोड़ निर्माण का कार्य।	29.1007	(2 प्रतिशत 58201.40 + 08 प्रतिशत 232805.60) योग 10 प्रतिशत 291007.00	04 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
3	मगहर	नगर पंचायत मगहर के वार्ड नं० 11 मोहल्ला- मोहनलालपुर में फातिम के घर से रीना गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	23.1117	(2 प्रतिशत 46223.40 + 08 प्रतिशत 184893.60) योग 10 प्रतिशत 231117.00	04 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
4	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड मोहल्ला- बड़गो में मेन रोड़ से राम प्रकाश, उमेश, विश्वनाथ, अमरेन्द्र, वशिष्ठ, सुधीर, दिनेश, बृजेश, गृजेश, विजय बहादुर आदि के मकान मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड़, जल निकासी नाली का निर्माण कार्य।	17.2478	(2 प्रतिशत 34495.60 + 08 प्रतिशत 137982.40) योग 10 प्रतिशत 172478.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
5	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद वार्ड नं० 18 में स्टेशनपुरवा मेन रोड़ से आलम के घर होते हुए हुबराज के घर से विशाल के घर मार्ग पर इन्टरलाकिंग/सी०सी० रोड़ निर्माण का कार्य।	29.8825	(2 प्रतिशत 59765.00 + 08 प्रतिशत 239060.00) योग 10 प्रतिशत 298825.00	04 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"

M7  
J.E

Key  
AG

6	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड नं० 24 में लल्ल लोहार की दुकान से छेदी के मकान तक मार्ग पर इन्टरलाकिंग सी०सी० रोड़ निर्माण का कार्य।	12.8849	(2 प्रतिशत 25769.80 + 08 प्रतिशत 103079.20) योग 10 प्रतिशत 128849.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B,C"
7	हैसर बाजार घनघटा	नगर पंचायत हैसर बाजार घनघटा वार्ड नं० 17 मेन रोड़ से जाकिर घुव के मकान मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण का कार्य।	37.0364	(2 प्रतिशत 74072.80 + 08 प्रतिशत 296291.20) योग 10 प्रतिशत 370364.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
8	मगहर	नगर पंचायत मगहर के वार्ड नं० 11 मोहल्ला- मोहनलालपुर में महफूजुल के घर से मकसूद के घर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	31.0319	(2 प्रतिशत 62063.80 + 08 प्रतिशत 248255.20) योग 10 प्रतिशत 310319.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
9	मैहदावल	नगर पंचायत मैहदावल के वार्ड नं० 09 बहबोलिया मोहल्ला- बैरिहवा में मेन रोड़ से बाईपास रोड़ तक रामरक्षा, राहुल, परमात्मा, धनश्याम, प्रहलादमुज के घर होते हुए अन्य मार्गों पर इन्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण व स्ट्रीट लाईट का कार्य।	19.1712	(2 प्रतिशत 38342.40 + 08 प्रतिशत 153369.60) योग 10 प्रतिशत 191712.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
10	मैहदावल	नगर पंचायत मैहदावल के मोहल्ला- बाराखाल वार्ड नं० 01 मोहल्ला- बनकटा में नौरतन के घर वाया रामरेखा वाया मिन्दू मिश्रा वाया देव प्रकाश मिश्रा के घर होते हुए भोलेनाथ बाबा के मन्दिर से राधेश्याम मौर्य के घर तक व अन्य मार्गों पर इन्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण व स्ट्रीट लाईन का कार्य।	34.8551	(2 प्रतिशत 69710.20 + 08 प्रतिशत 278840.80) योग 10 प्रतिशत 348551.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
11	बेलहरकला	नगर पंचायत बेलहरकला वार्ड नं० 12 में मुख्य मार्ग पर मगहर के मकान से मुस्ताक के मकान मार्ग पर इन्टरलाकिंग सी०सी०/रोड़ व नाली निर्माण का कार्य।	35.9966	(2 प्रतिशत 71993.20 + 08 प्रतिशत 287972.80) योग 10 प्रतिशत 359966.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
12	बाघनगर उर्फ बखिरा	नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा वार्ड नं० 07 हरिजन बस्ती में हरीराम के घर से अंत तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	35.5354	(2 प्रतिशत 71070.80 + 08 प्रतिशत 284283.20) योग 10 प्रतिशत 355354.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"

M7 Jay

13	बाघनगर उर्फ बखिरा	नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा वार्ड नं० 07 में राम प्रकाश के घर से नियाज के घर अजमल के घर से समसुददीन के घर एवं महिला शौचालय से वाजिद अली के मार्ग पर सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	53.1037	(2 प्रतिशत 106207.40 + 08 प्रतिशत 424829.60) योग 10 प्रतिशत 531037.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
14	बाघनगर उर्फ बखिरा	नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा वार्ड नं० 07 हरिवंश पासवान के घर से गुलाम के घर तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	18.5222	(2 प्रतिशत 37044.40 + 08 प्रतिशत 148177.60) योग 10 प्रतिशत 185222.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
15	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद संत कबीर नगर के मोहल्ला- बनियाबारी में लालचन्द के घर होते हुए गोपाल, पाल, राजाराम, हरिश्चन्द्र, केवल, फलचन्द, कोमल के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	79.1169	(2 प्रतिशत 158233.80 + 08 प्रतिशत 632935.20) योग 10 प्रतिशत 791169.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
16	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद मोहल्ला- बनियाबारी एवं गौसपुर में प्रेमशंकर, रमाशंकर, कृष्णा, सत्यानन्द, सृजन एवं गौसपुर दलित बस्ती पर सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	72.4624	(2 प्रतिशत 144924.80 + 08 प्रतिशत 579699.20) योग 10 प्रतिशत 724624.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
17	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड घोरखल में बेचन, विक्की चौधरी संजय के घर होते हुए आदर्श श्रीवास्तव, विनय के घर तक रामवृक्ष के घर से राहुल, सांवर के घर से रमजान और विश्वकर्मा के प्लाट तक रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	54.0732	(2 प्रतिशत 108146.40 + 08 प्रतिशत 432585.60) योग 10 प्रतिशत 540732.00	06	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
18	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद संत कबीर नगर वार्ड नं० 10 मोहिउद्दीपुर में श्यामकरन, महेश, बृजलाल, सेखावत, गिरजा, हनुमान, सोयब, परवीन, लक्ष्मिन, अनिल एवं मक्के के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण का कार्य।	42.6893	(2 प्रतिशत 85378.60 + 08 प्रतिशत 341514.40) योग 10 प्रतिशत 426893.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
19	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद संत कबीर नगर के मोहल्ला- औद्योगिक नगर में कसैला पिच रोड़ से दीपचन्द्र, नाटे, मुस्तफा के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	29.4759	(2 प्रतिशत 58951.80 + 08 प्रतिशत 235807.20) योग 10 प्रतिशत 294759.00	04 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"

*Mf* *ly*

20	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के मोहल्ला- नेदुला विकास भवन मुख्य मार्ग के बड़ी पटखौली गोदाम से वीरेन्द्र कुमार आदि के घर होते हुए श्रीनिवास के घर के बगल रोड़ तक इन्टरलाकिंग, नाली, क्रासिंग का निर्माण कार्य।	54.1592	(2 प्रतिशत 108318.40 + 08 प्रतिशत 433273.60) योग 10 प्रतिशत 541592.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
21	हैसर बाजार घनघटा	नगर पंचायत हैसर बाजार संत कबीर नगर के घनघटा मुख्य मार्ग से गागरगार वार्ड नं० 15 में शिवपूजन, निजामुद्दीन, बिजली वाले, राजदेव, चन्द्रपकाश पटेल, निहोर, सुरज, मंगरू चौधरी, दीपक चौधरी, विजयी, चन्द्रिका, राम प्रसाद, रामसरन, नन्दलाल उपाध्याय के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	72.1653	(2 प्रतिशत 144330.60 + 08 प्रतिशत 577322.40) योग 10 प्रतिशत 721653.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
22	हैसर बाजार घनघटा	नगर पंचायत हैसर बाजार के वार्ड नं० 10 मिठना में पिच मार्ग से स्कूल होते हुए पारस, हरिराम, अंगद, रमेश के घर होते हुए दलित बस्ती पिच रोड़ मार्ग तक जाने वाले मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	72.0715	(2 प्रतिशत 144143.00 + 08 प्रतिशत 576572.00) योग 10 प्रतिशत 720715.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
23	हैसर बाजार घनघटा	नगर पंचायत हैसर बाजार के वार्ड नं० 13 बंडा बाजार में राम आशीष, लालता प्रसाद, इनरमल, दिनेश चौधरी, जोखन, जयकरन, राजेन्द्र के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	54.0497	(2 प्रतिशत 108099.40 + 08 प्रतिशत 432397.60) योग 10 प्रतिशत 540497.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
24	बेलहरकला	नगर पंचायत बेलहरकला संत कबीर नगर के वार्ड नं० 07 में ग्राम मोहल्ला- कोठवा में रमेश, आशीष टोनी, जैनुल्लाह, शेषनाथ, हरिराम, स्वतन्त्र राय, जोखू के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण का कार्य।	35.9341	(2 प्रतिशत 71868.20 + 08 प्रतिशत 287472.80) योग 10 प्रतिशत 359341.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
25	बेलहरकला	नगर पंचायत बेलहरकला वार्ड नं० 08 में बलई लोघ के घर से सत्यदेव चौरसिया के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	36.0983	(2 प्रतिशत 72196.60 + 08 प्रतिशत 288786.40) योग 10 प्रतिशत 360983.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
26	मेंहदावल	नगर पंचायत मेंहदावल मोहल्ला- सीयर में परशु के मकान से मनबढ़ का घर होते हुए केदार नाथ त्रिपाठी के घर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण का कार्य।	25.6605	(2 प्रतिशत 51321.00 + 08 प्रतिशत 205284.00) योग 10 प्रतिशत 256605.00	04 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"

*Handwritten signatures and initials.*

27	मेंहदावल	नगर पंचायत मेंहदावल वार्ड नं० 07 मोहल्ला- सीयर में प्राथमिक विद्यालय में ब्रम्हबाबा स्थान होते हुए बीएमसीटी तक सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण का कार्य।	29.1631	(2 प्रतिशत 58326.20 + 08 प्रतिशत 233304.80) योग 10 प्रतिशत 291631.00	04 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
28	हरिहरपुर	नगर पंचायत हरिहरपुर पंडितपुरवा में मुख्य मार्ग से केवला देवी, बामूलाल, विजय, राम चन्द्र, राजकुमार, अरविन्द कुमार, अवनीश कुमार, सत्यवती, अशोक कुमार, मोनू, आतिश आदि के मकान पर इन्टरलाकिंग सड़क, रिटेनिंग वाल, जल निकास नाली, क्रासिंग का निर्माण कार्य।	18.6317	(2 प्रतिशत 37263.40 + 08 प्रतिशत 149053.60) योग 10 प्रतिशत 186317.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B"
29	हैसर बाजार धनघटा	नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा वार्ड नं० 08 कुरमोल में कटार पाण्डेपुरवा करमोल सम्पर्क मार्ग से नउपुरवा कुरमोल होते हुए पाण्डेपुरा कुरमोल तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	37.5681	(2 प्रतिशत 75136.20 + 08 प्रतिशत 300544.80) योग 10 प्रतिशत 375681.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
30	धर्मसिंहवा	नगर पंचायत धर्मसिंहवा में वार्ड नं० 04 में बढया में मुख्य मार्ग से कमलेश, फारुख के मकान मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	53.3773	(2 प्रतिशत 106754.60 + 08 प्रतिशत 427018.40) योग 10 प्रतिशत 533773.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
31	बेलहरकला	नगर पंचायत बेलहरकला वार्ड नं० 01 में मुख्य मार्ग से राय बेलास के मकान मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	36.0983	(2 प्रतिशत 72196.60 + 08 प्रतिशत 288786.40) योग 10 प्रतिशत 360983.00	05 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
32	धर्मसिंहवा	नगर पंचायत धर्मसिंहवा में वार्ड नं० 04 में बढया में पीडब्लडी सड़क से रियाज, जैनुआबदीन, फारुख के घर होते हुए विष्णु, विनोद नूर मोहम्मद के घर से अब्बास के घर होते हुए जलालुद्दीन के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	53.6119	(2 प्रतिशत 107223.80 + 08 प्रतिशत 428895.20) योग 10 प्रतिशत 536119.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
33	बाघनगर उर्फ बखिरा	नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा वार्ड नं० 01 में रिजवान के घर से जाहिर के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	14.7302	(2 प्रतिशत 29460.40 + 08 प्रतिशत 117841.60) योग 10 प्रतिशत 147302.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B,C"

M7 Jay

34	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में बगहिया वार्ड में रामलाल, सुमाष, पिन्द्र, रामकिशुन, राजकपूर, गुड्डू हरिजन, बानो के घर होते वार्ड के विभिन्न मार्गों पर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	72.0871	(2 प्रतिशत 144174.20 + 08 प्रतिशत 576696.80) योग 10 प्रतिशत 720871.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
35	खलीलाबाद	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद संत कबीर नगर के वार्ड नं० 01 मोहल्ला- मटिहना में शंकर, बाबूराम, श्रीकान्त, अजय, डी०एन० चौरसिया, दिवाकर, अरुण जी, नसीम, अजय, शैलेन्द्र मणि के घर मार्ग पर सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	127.0751	(2 प्रतिशत 254150.20 + 08 प्रतिशत 1016600.80) योग 10 प्रतिशत 1270751.00	09 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"
36	धर्मसिंहवा	नगर पंचायत धर्मसिंहवा संत कबीर नगर के वार्ड नं० 01 में अवधराज मास्टर के घर से हरिजन बस्ती होते हुए नेवास के घर तक सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	14.4097	(2 प्रतिशत 28819.40 + 08 प्रतिशत 115277.60) योग 10 प्रतिशत 144097.00	03 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A,B,C"
37	धर्मसिंहवा	नगर पंचायत धर्मसिंहवा संत कबीर नगर के वार्ड नं० 02 में मोहल्ला- बढ़या में पिच रोड़ से हरिजन बस्ती तक सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	57.6932	(2 प्रतिशत 115386.40 + 08 प्रतिशत 461545.60) योग 10 प्रतिशत 576932.00	06 माह	(2000.00+ 300.00+ 414.00) = 2714.00	"A"

- निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा किसी भी दशा में निविदादाता द्वारा वापस नहीं ली जा सकती है।
- यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ठेकेदार/फर्म से अनुबन्ध गठन के समय व्याज वाली प्रतिभूतियों के रूप में ली जायेगी जो सिड्यूल कामर्शियल बैंक की होनी चाहिए। (बैंक गारन्टी मान्य नहीं होगी।)
- शासनादेश संख्या-24/वीआईपी(1)/नौ-6-2017-120 बजट/2013 दिनांक- 24.08.2017 के अनुसार किया जाने वाला निर्माण पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाव निविदादाता द्वारा किया जाना अनिवार्य है तथा ठेकेदार द्वारा जमा अनुबन्ध गठन के रूप में ली गयी 10 प्रतिशत की जमानत धनराशि Defect Liability Period अर्थात् कार्य पूर्ण होने के तिथि से 5 वर्ष के पश्चात कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने पर अवमुक्त की जायेगी।
- निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेजर सार्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- शासनादेश संख्या- 3070/78-2-2018/42 आई०टी०/2017(22) दिनांक- 03.01.2018 के अनुसार निविदादाता द्वारा निविदा के साथ मूल रूप अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि सम्बन्धी डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूमि प्रमाण-पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक बनाने पर प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के समय निविदादाता मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि सम्बन्धी डिमांड ड्राफ्ट/एफ०डी० मूल रूप में लिफाफे में नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी। बिड्स को




- निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। (क) निविदा मूल्य सम्बन्धित डिमांड ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस /नेफ्ट की रसीद यू0टी0आर0 नम्बर सहित जमा करना अनिवार्य है।
- (ख) धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (निविदा डाक्यूमेंट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 06 माह तक वैध होनी चाहिए। जो कि कि परियोजना निदेशक, "जिला नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम" के नाम से मूल रूप में बन्धक होगी। (ग) बिड डाक्यूमेंट के आई0टी0बी0 के अनुरूप प्रपत्र।
6. ऐसे कार्य जिनकी लागत 10.00 लाख से ज्यादा है के लिए निविदादाता द्वारा शपथ पत्र पर निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचना जो कि ठेकेदार की बिड कैपेसिटी निर्धारित करने के लिए आवश्यक है दी जायेगी। प्रत्येक ठेकेदार द्वारा अपनी बिड कैपेसिटी की संतुष्टि पर निविदा डाली जाये। ठेकेदार की बिड कैपेसिटी का निर्धारण सेक्सन-3 में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा। जिन ठेकेदारों की निर्धारित बिड कैपेसिटी नहीं होगी, उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
  7. ई-निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षणोपरान्त वैध पायी गयी निविदा को प्रस्तुत करने वाली संस्था यदि जिला नगरीय विकास अभिकरण, संत कबीर नगर में पंजीकृत नहीं है, को शासन के आदेश संख्या-419/2019/1264/69-1-2019/14(3)/2019 दिनांक- 05 नवम्बर, 2018 व राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- 1919/10/छ:ई-टेण्डरिंग/ निर्माण/2017-18 दिनांक- 22.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार संस्था को डूडा, संत कबीर नगर में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  8. शासन द्वारा स्वीकृति आगणन पर निविदा करायी जायेगी, किन्तु शासन/सूडा द्वारा प्राप्त धनराशि (किश्तवार) के अन्तर्गत ही कार्य कराया जायेगा। परियोजना लागत की अवशेष धनराशि/किश्त प्राप्त होने पर आगे का कार्य कराया जायेगा एवं धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित परियोजना पर कपितय कारणों से धनराशि/किश्त प्राप्त नहीं होता है तो उसी पर अन्तिम बिल भुगतान बना दिया जायेगा।
  9. निविदा शुल्क विभागीय खाता जो कि ऐक्सिस बैंक, खलीलाबाद में संचालित है का खाता संख्या-918010042103845 में जो कि जिला नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संचालित है, में जमा करते हुए टान्जेक्शन आई0डी0 उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
  10. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
  11. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के मूल्यांकन हेतु रूपया 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर निर्धारित शपथ-पत्र आनलाईन एवं मूल रूप से देना होगा।
  12. निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिए सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर (टी-4,टी-5) समक्ष अधिकृत हस्ताक्षरी से प्रमाणित कराकर तथा टी-6 आदि मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  13. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन स्वीकृत धनांक के अन्तर्गत हो सकता है,जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
  14. निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग जमानत धनराशि मूल रूप में जमा करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में कई कार्यों की एक ही जमानत धनराशि मान्य नहीं होगी। ऐसी निविदा पर विचार सम्भव नहीं होगा।
  15. शासनादेश के अनुसार जी0एस0टी0, उपकर इत्यादि कटौतियां लागू की जायेगी। जिनका भुगतान निविदादाता को करना होगा।
  16. निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है, परन्तु निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपांतरित किया गया है। किसी भी प्रकार की भिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा की निविदा सूचना प्रपत्र अन्तिम मानी जायेगी।
  17. परियोजना निदेशक, डूडा/जिलाधिकारी-अध्यक्ष किसी भी निविदा को कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा निविदा के सन्दर्भ में किसी भी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में जिलाधिकारी, संत कबीर नगर का निर्णय अन्तिम होगा।
  18. निविदादाता की टेक्निकल बिड पहले खोली जायेगी, जिसमें टेक्निकल बिड अर्ह पाये जाने पर ही फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी, जो निविदादाता को मान्य होगी।
  19. प्रत्येक निविदादाता को परियोजना लागत का 2 प्रतिशत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो "परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संत कबीर नगर" के पक्ष में बन्धक होगा, सम्बन्धित एफ0डी0आर0 किसी भी शेड्यूल कामर्शियल बैंक द्वारा जारी होना चाहिए।
  20. कार्य के अनुबन्ध के समय अवशेष 08 प्रतिशत धरोहर राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करानी होगी।

21. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग, संत कबीर नगर के एस0ओ0आर0/एनालिसिस ऑफ रेट की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।
22. प्रत्येक ई-निविदा के साथ, निविदादाता का पंजीयन प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, विगत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, जीएसटी पंजीकरण, निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि की जमा प्रति, श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा सम्बन्धित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
23. ई-निविदा पोर्टल पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर आन लाईन डाली गयी निविदाओं का प्रिन्ट आउट के साथ जमानत धनराशि एवं निविदा शुल्क की आर0टी0जी0एस0/अन0ई0एफ0टी0 की मूल प्रति उपरोक्तानुसार संलग्न कर बन्द लिफाफे में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), संत कबीर नगर परियोजना अधिकारी के कार्यालय में 05.06.2026 को अपराह्न 12:00 बजे तक जमा की जा सकेगी उक्त प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही निविदादाताओं की टेक्निकल बिड पर विचार किया जायेगा।
24. डूडा में पंजीकृत सी श्रेणी ठेकेदार हेतु धनराशि 15 लाख तक व बी श्रेणी में पंजीकृत 30 लाख तक एवं ए श्रेणी में पंजीकृत किसी भी धनराशि के लागत के कार्य की निविदा हेतु अर्ह होंगे। अपंजीकृत ठेकेदार द्वारा डाली गयी निविदा के आधार पर नियमानुसार पंजीकृत किया जायेगा।
25. सूडा के पत्र संख्या- 1919/TO/6/ई-टेण्डरिंग/निर्माण/2017-18 दिनांक 22.08.2017 के अनुसार ए0, बी0, सी0 श्रेणी हेतु तकनीकी स्टाफ फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. यदि किसी कारण वश ई-निविदा की टेक्निकल/वित्तीय बिड निर्धारित दिनांक पर नहीं खोली जाती है तो अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
27. डाली गयी निविदाओं की टेक्निकल बिड 05.06.2026 को निविदा समिति के समक्ष सांय 3:00 बजे खोली जायेगी तथा टेक्निकल बिड में अर्ह पायी गयी फर्म/ठेकेदार द्वारा डाली गयी निविदा की वित्तीय बिड अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
28. निविदा स्वीकृति के पश्चात् आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार द्वारा नियम समय के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
29. कार्य किसी अन्य को कदापि हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृत के बाद यदि स्थानान्तरण की स्थिति प्रकाश में आता है तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
30. कार्यों का कार्यादेश निविदा के उपरान्त पत्रावली पूर्ण होने के पश्चात् जारी की जायेगी यदि पूर्व में कोई कार्य करा लिया गया है तो निरीक्षणोपरान्त कार्य को श्रमदान घोषित किया जा सकता है।
31. कार्यादेश जारी होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना अधिकारी, डूडा, संत कबीर नगर/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को सूचित निर्धारित प्रारूप पर करना अनिवार्य होगा।
32. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों के तीन चरणों में फोटोग्राफी (प्रथम कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय कार्य चलते समय व तृतीय कार्य समाप्ति होने के चार-चार फोटोग्राफ) तथा निर्माण कार्य का डिस्पले बोर्ड लगवाना अनिवार्य होगा।
33. डूडा/सूडा के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके सम्बन्धियों को ठेकेदार के रूप में पंजीकरण/कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं डूडा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के अथवा उनके सम्बन्धियों को कम से कम दो वर्ष तक पंजीकरण/कार्य कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
34. ठेकेदार/फर्म द्वारा कराये गये कार्यों की किसी भी प्रकार की जांच (टी0ए0सी0/शासन/प्रशासन) द्वारा गठित समिति की जांच में जो भी कमियां पायी जाती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं उन कमियों का निराकरण भी उनके स्तर से किया जायेगा।
35. जिला नगरीय विकास अभिकरण, संत कबीर नगर में पंजीकृत किसी भी ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि एवं सहयोगी द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ दुर्यहार, अम्रदता अथवा अमर्यादित आचरण आदि किया जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट/उच्चाधिकारी को अवगत कराते हुए सम्बन्धित ठेकेदार के पंजीयन को निरस्त करके ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही अवशेष भुगतान की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
36. ठेकेदार के बिल से 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती की जायेगी।


 


37. जिलाधिकारी महोदय, संत कबीर नगर के पत्र संख्या- 800/निकाय सहायक दिनांक- 30 जनवरी, 2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में नियत अविधि में कार्य पूर्ण न कराये जाने पर नियमानुसार एल0डी0/पेनाल्टी का प्राविधानित किया जाता है-


कार्य की लागत रुपये में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
रू0 20 लाख तक	03 माह
रू0 20 लाख से अधिक तथा 30 लाख तक	04 माह
रू0 30 लाख से अधिक तथा 40 लाख तक	05 माह
रू0 40 लाख से अधिक तथा 100 लाख (01 करोड़) तक	06 माह
रू0 100 लाख (01 करोड़) से अधिक	09 माह


ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में अनुबन्ध धनराशि पर प्रति सप्ताह 01 प्रतिशत की दर से निर्धारित क्षतिपूर्ति (रूपया 01 हजार में पूर्णांकित) बीजक (बिल) से (FORCE MAJEURE) को छोड़कर कटौती की जायेगी, जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगी।  
ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त समय सहित कार्य पूर्ण न करने की दशा में ठेकेदार/फर्म के सक्षम अधिकारी के द्वारा विवेकानुसार आगामी निविदा में 12 माह तक प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा अथवा ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।


38. उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन न करने पर निविदा दाता की निविदा को अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

  
शहर कार्यक्रम प्रबन्धक  
डूडा, संत कबीर नगरं

  
अवर अभियन्ता  
स्मद्ध डूडा, संत कबीर  
नगरं

  
सहायक अभियन्ता  
स्मद्ध डूडा, संत कबीर  
नगरं

  
अपर उप  
जिलाधिकारी/परियोजना  
अधिकारी  
डूडा, संत कबीर नगरं

  
परियोजना निदेशक  
डूडा, संत कबीर नगरं